I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

भारतीय कानूनी ढाँचे में पंचायत-आधारित विवाद समाधान का समावेश भारतीय ज्ञान प्रणाली और वैकल्पिक विवाद समाधान का अध्ययन

अनिल प्रजापति [1*], श्री शशिकांत दुबे [2]
[1] ए. के. एस. विश्व विद्यालय, विधि संकाय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत
[2] सहायक प्रोफेसर, विधि संकाय, ए. के. एस. विश्व विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: *अनिल प्रजापति

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20813132

सारांश

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जहाँ सामाजिक जीवन, न्याय व्यवस्था तथा सामुदायिक संगठन की समृद्ध परंपरा रही है। भारतीय ग्राम व्यवस्था केवल प्रशासनिक इकाई नहीं थी, बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक कार्यों का भी केंद्र थी। प्राचीन काल में पंचायतें स्थानीय विवादों के समाधान का प्रमुख माध्यम थीं। ये पंचायतें समाज में शांति, सामंजस्य और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

वर्तमान समय में भारतीय न्यायपालिका अनेक समस्याओं से जूझ रही है, जैसे मुकदमों का अत्यधिक लंबित होना, न्याय प्राप्ति में विलंब, महँगी न्यायिक प्रक्रिया, तकनीकी जटिलताएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक सीमित पहुँच। ऐसे समय में पंचायत-आधारित विवाद समाधान प्रणाली एक प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उभरती है।

यह शोध पत्र भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System) एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अवधारणाओं के संदर्भ में पंचायत-आधारित विवाद समाधान की भूमिका का विश्लेषण करता है। इसमें पंचायत न्याय व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक स्थिति, विधिक प्रावधानों, न्यायालयीन दृष्टिकोण तथा वर्तमान प्रासंगिकता का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

शोध में यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि यदि पंचायत-आधारित विवाद समाधान प्रणाली को संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों तथा विधिक नियंत्रण के अंतर्गत संचालित किया जाए, तो यह भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक प्रभावी सहायक तंत्र सिद्ध हो सकती है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 16-05-2026
- **Accepted:** 20-06-2026
- **Published:** 23-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 1093-1096
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

अनिल प्रजापति, श्री शशिकांत दुबे. भारतीय कानूनी ढाँचे में पंचायत-आधारित विवाद समाधान का समावेश भारतीय ज्ञान प्रणाली और वैकल्पिक विवाद समाधान का अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):1093-1096.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: पंचायत आधारित विवाद समाधान, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System), ग्राम न्याय एवं पंचायत व्यवस्था, संवैधानिक न्याय एवं ग्राम स्वराज

© 2026 अनिल प्रजापति, श्री शशिकांत दुबे. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारतीय समाज प्राचीन काल से ही सामूहिक जीवन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता पर आधारित रहा है। भारत की ग्राम व्यवस्था विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। "ग्राम स्वराज" की अवधारणा केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक न्याय, सहभागिता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी।

प्राचीन भारत में पंचायतें गाँवों के प्रशासन एवं न्याय का मुख्य केंद्र थीं। गाँव के सम्मानित व्यक्ति मिलकर विवादों का समाधान करते थे। इनका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करना था।

आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा स्थापित औपचारिक न्यायिक ढाँचे पर आधारित है। यद्यपि यह प्रणाली विधिक दृष्टि से सुदृढ़ है, परंतु इसकी जटिलता एवं विलंब न्याय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। आज लाखों मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं। इसी कारण वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की आवश्यकता बढ़ी है।

पंचायत-आधारित विवाद समाधान भारतीय परंपरा का स्वदेशी ADR मॉडल है, जो कम खर्चीला, त्वरित तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य है।

1.2 पंचायत का अर्थ एवं स्वरूप

"पंचायत" शब्द संस्कृत के "पंच" शब्द से बना है, जिसका अर्थ पाँच होता है। प्राचीन काल में पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह विवादों का निपटारा करता था, जिसे पंचायत कहा जाता था।

पंचायत की मुख्य विशेषताएँ

1. सामुदायिक सहभागिता
2.सरल प्रक्रिया
3. त्वरित निर्णय
4. समझौता आधारित समाधान
5. सामाजिक सामंजस्य
6. कम खर्च
7. स्थानीय परंपराओं का पालन

1.3 भारतीय ज्ञान प्रणाली और न्याय

भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System) में न्याय, धर्म, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन भारतीय दर्शन में न्याय का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं था, बल्कि समाज में संतुलन और शांति स्थापित करना था।

भारतीय न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत

1. धर्म
2. न्याय
3. लोककल्याण
4. सामाजिक समरसता
5. मेल-मिलाप

मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

1.4 वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अवधारणा

(ADR) अर्थात (Alternative Dispute Resolution) ऐसे साधनों को कहा जाता है जिनके माध्यम से विवादों का समाधान न्यायालय के बाहर किया जाता है।

ADR के प्रमुख प्रकार

1. मध्यस्थता (Mediation)
2. सुलह (Conciliation)
3. पंचनिर्णय (Arbitration)
4. वार्ता (Negotiation)
5. लोक अदालत
6. ADR का उद्देश्य
7. त्वरित न्याय
8. कम खर्च
9. आपसी संबंधों की रक्षा
10. न्यायालयों पर भार कम करना
11. पंचायत प्रणाली इन उद्देश्यों से अत्यधिक मेल खाती है।

पंचायत न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास

2.1 वैदिक काल

वैदिक काल में ग्राम सभाएँ और पंचायतें समाज के संचालन का प्रमुख माध्यम थीं। गाँव आत्मनिर्भर इकाइयाँ थीं।

पंचायतें निम्न कार्य करती थीं

1. भूमि विवाद समाधान
2. पारिवारिक विवाद निपटान
3. सामाजिक अनुशासन
4. कर व्यवस्था
5. लोक कल्याण

2.2 मौर्य एवं गुप्त काल

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय न्याय प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ग्राम स्तर पर विवादों का समाधान पंचायतों द्वारा किया जाता था।

2.3 मध्यकालीन भारत

मुस्लिम शासनकाल में भी पंचायतों का अस्तित्व बना रहा। गाँवों में स्थानीय विवादों का निपटारा प्रथागत कानूनों के अनुसार होता था।

2.4 ब्रिटिश काल

ब्रिटिश शासन ने केंद्रीकृत न्यायिक व्यवस्था लागू की, जिससे पंचायतों की शक्ति कमजोर हुई। अंग्रेजी कानून औपचारिक और तकनीकी थे।

इसके परिणामस्वरूप

1. न्याय महँगा हुआ
2. प्रक्रिया जटिल हुई
3. ग्रामीण जनता न्याय से दूर हुई

© 2026 अनिल प्रजापति, श्री शशिकांत दुबे. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.5 स्वतंत्रता के बाद पंचायत व्यवस्था
महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का समर्थन किया। उन्होंने पंचायतों को लोकतंत्र की आधारशिला माना।

प्रमुख समितियाँ
- बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- अशोक मेहता समिति (1978)

पंचायत और संवैधानिक व्यवस्था

3.1 संविधान में पंचायत
अनुच्छेद 40
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करेगा।

3.2 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
प्रमुख विशेषताएँ
1. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था
2. आरक्षण
3. ग्राम सभा
4. वित्तीय शक्तियाँ
5. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

3.3 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करना है।
1. उद्देश्य
2. त्वरित न्याय
3. कम खर्च
4. स्थानीय स्तर पर न्याय
5. सुलह एवं समझौता

3.4 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89
यह न्यायालयों को ADR के माध्यम से विवाद समाधान हेतु प्रोत्साहित करती है।

पंचायत एवं ADR का तुलनात्मक अध्ययन
1. पंचायत प्रणाली
2. ADR प्रणाली
3. अनौपचारिक प्रक्रिया
4. लचीली प्रक्रिया
5. सामुदायिक सहभागिता
6. पक्षकारों की सहभागिता
7. समझौता आधारित
8. मेल-मिलाप आधारित
9. कम खर्च
10. कम लागत
11. त्वरित निर्णय
12. शीघ्र समाधान

4.1 पंचायत एक स्वदेशी ADR मॉडल
भारत में पंचायत प्रणाली आधुनिक ADR से पहले से विद्यमान थी। पंचायतें मध्यस्थता एवं सुलह का कार्य करती थीं।

4.2 लोक अदालत और पंचायत
लोक अदालतें भारतीय पारंपरिक पंचायत व्यवस्था से प्रेरित हैं।
इनकी विशेषताएँ
1. समझौता
2. त्वरित निपटान
3. कम खर्च
4. मैत्रीपूर्ण समाधान

न्यायालयीन दृष्टिकोण एवं महत्वपूर्ण वाद

5. 1 Salem Advocate Bar Association v. Union of India (2005) Salem Advocate Bar Association v- Union of India
उच्चतम न्यायालय ने ADR प्रणाली को प्रोत्साहित किया तथा कहा कि न्यायालयों पर भार कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान आवश्यक है।

5.2 Afcons Infrastructure Ltd. V. Cherian Varkey Construction Co. (2010) न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह की उपयोगिता को स्पष्ट किया।

5.3 Shakti Vahini v. Union of India (2018) Shakti Vahini v. Union of India
उच्चतम न्यायालय ने खाप पंचायतों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को असंवैधानिक माना।

5.4 Arumugam Servai v. State of Tamil Nadu (2011) Arumugam Servai v. State of Tamil Nadu
न्यायालय ने जाति आधारित पंचायतों की अवैध गतिविधियों की आलोचना की।

पंचायत आधारित विवाद समाधान की चुनौतियाँ

6.1 जातिगत भेदभाव
कुछ पंचायतें जातिगत पक्षपात से प्रभावित होती हैं।

6.2 महिला अधिकारों की उपेक्षा
महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं होती।

6.3 विधिक ज्ञान का अभाव
पंचायत सदस्यों को कानूनी जानकारी सीमित होती है।

6.4 मानवाधिकार उल्लंघन
कुछ अनौपचारिक पंचायतें असंवैधानिक निर्णय देती हैं।

© 2026 अनिल प्रजापति, श्री शशिकांत दुबे. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6.5 राजनीतिक हस्तक्षेप
स्थानीय राजनीति निष्पक्षता को प्रभावित करती है।

सुझाव एवं सुधार

7.1 पंचायतों का विधिक प्रशिक्षण
पंचायत सदस्यों को निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाए
1. संविधान
2. मानवाधिकार
3. मध्यस्थता
4. महिला अधिकार

7.2 ADR से समन्वय
पंचायतों को लोक अदालत एवं ग्राम न्यायालय से जोड़ा जाए।

7.3 महिलाओं की भागीदारी
महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

7.4 डिजिटल पंचायत न्याय तकनीक का उपयोग
1. रिकॉर्ड संधारण
2. ऑनलाइन मध्यस्थता
3. पारदर्शिता

7.5 संवैधानिक नियंत्रण
पंचायत निर्णय संविधान एवं मौलिक अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए।

निष्कर्ष
पंचायत-आधारित विवाद समाधान भारतीय सभ्यता की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण न्यायिक परंपरा है। यह भारतीय ज्ञान प्रणाली के मूल सिद्धांतोंकृसामाजिक समरसता, सहयोग, नैतिकता एवं लोककल्याणकृपर आधारित है।
आज भारतीय न्यायपालिका अनेक समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में पंचायत-आधारित न्याय व्यवस्था, यदि संवैधानिक सीमाओं और मानवाधिकारों के अंतर्गत संचालित की जाए, तो यह न्याय प्रणाली का प्रभावी सहायक माध्यम बन सकती है।

यह व्यवस्था
1. न्यायालयों का भार कम करेगी,
2. ग्रामीण जनता को सुलभ न्याय देगी,
3. सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगी,
4. और भारतीय परंपरा एवं आधुनिक कानून के बीच संतुलन स्थापित करेगी।

शोध निष्कर्ष (Findings)
1. पंचायत प्रणाली भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है।
2. पंचायत व्यवस्था आधुनिक ADR से मेल खाती है।
3. पंचायतें ग्रामीण न्याय में सहायक हो सकती हैं।
4. संवैधानिक नियंत्रण आवश्यक है।
5. मानवाधिकार सुरक्षा के बिना पंचायत व्यवस्था खतरनाक हो सकती है।
6. सुझाव (Recommendations)
7. पंचायत आधारित मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
8. ग्राम न्यायालयों को सक्रिय किया जाए।
9. पंचायत सदस्यों को विधिक प्रशिक्षण दिया जाए।
10. महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाई जाए।
11. पंचायत न्याय प्रणाली को ADR से जोड़ा जाए।

संदर्भ सूची

1. जैन एमपी. भारतीय संवैधानिक कानून. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस; प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं।
2. शुक्ला वीएन. भारत का संविधान. नई दिल्ली: ईस्टर्न बुक कंपनी; प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं।
3. बक्सी उपेन्द्र. भारतीय न्यायपालिका. नई दिल्ली: प्रकाशक उपलब्ध नहीं; प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं।
4. दीवान पारस. मध्यस्थता एवं पंचनिर्णय. नई दिल्ली: प्रकाशक उपलब्ध नहीं; प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं।
5. भारत का संविधान. नई दिल्ली: भारत सरकार।
6. पंचायती राज अधिनियम. भारत सरकार।
7. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008. भारत सरकार; 2008।
8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996. भारत सरकार; 1996।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

अनिल प्रजापति ए. के. एस. विश्व विद्यालय, सतना (मध्य प्रदेश) के विधि संकाय से संबद्ध शोधार्थी हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि संवैधानिक विधि, मानवाधिकार, न्यायिक व्यवस्था तथा समकालीन विधिक मुद्दों के अध्ययन एवं अनुसंधान में है। वे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में सक्रिय रूप से शोध कार्य कर रहे हैं।

श्री शशिकांत दुबे ए. के. एस. विश्व विद्यालय, सतना (मध्य प्रदेश) के विधि संकाय में सहायक प्रोफेसर हैं। उनकी विशेषज्ञता विधि शिक्षण, संवैधानिक कानून, न्यायशास्त्र तथा विधिक अनुसंधान में है। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध एवं विद्यार्थियों के अकादमिक मार्गदर्शन के माध्यम से विधि शिक्षा के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

© 2026 अनिल प्रजापति, श्री शशिकांत दुबे. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/